

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या- 559/XXV-12/2015

देहरादून : दिनांक 12 जून, 2015

सेवा में,

सचिव,

उत्तराखण्ड सूचना आयोग,

सूचना का अधिकार भवन,

लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-18043/2015 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1204 दिनांक 02 फरवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें अपील संख्या A(D)-18043/2015 श्री प्रवीण शर्मा पिन्नी, पुत्र श्री योगेश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा, जीवनगढ़, पोस्ट अम्बाड़ी, विकासनगर, जिला देहरादून द्वारा मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-18043/2015 पर दिनांक 15.06.2015 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है, के क्रम में मा० आयोग को अवगत कराना है कि आवेदक के सूचना अधिकार से संबंधित आवेदन पत्र दिनांक 21 फरवरी, 2015 के क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या 263 दिनांक 23 मार्च, 2015 के माध्यम से अवगत कराया गया था कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड से संबंधित कोई बिन्दु/सूचना परिलक्षित नहीं हुयी जिससे निर्वाचन विभाग द्वारा उक्त शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। सानुरोध यह भी अवगत कराना है कि अपर सचिव (विभागीय अपीलीय अधिकारी) विदेश भ्रमण पर होने के कारण अपील की सुनवाई हेतु पत्रावली प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

उक्तानुसार लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की ओर से विभागीय पक्ष मा० सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत है। कृपया तदनुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,



( मस्तू दास )

अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी



कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या- /XXV-12/2015

देहरादून : दिनांक 12 जून, 2015

सेवा में,

सचिव,

उत्तराखण्ड सूचना आयोग,

सूचना का अधिकार भवन,

लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-18043/2015 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1204 दिनांक 02 फरवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें अपील संख्या A(D)-18043/2015 श्री प्रवीण शर्मा पिन्नी, पुत्र श्री योगेश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा, जीवनगढ़, पोस्ट अम्बाड़ी, विकासनगर, जिला देहरादून द्वारा मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-18043/2015 पर दिनांक 15.06.2015 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है, के क्रम में मा० आयोग को अवगत कराना है कि अपीलकर्ता के प्रथम अपील संबंधी पत्र दिनांक 30 मार्च, 2015 के क्रम में सुनवाई हेतु पत्रावली तैयार की गयी थी, किंतु लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे अपील पर सुनवाई नहीं की जा सकी।

2. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के क्रम में मा० सूचना आयोग के संज्ञान में लाना है कि कार्यालय के पत्र संख्या 263 दिनांक 23 मार्च, 2015 के माध्यम से उनके आवेदन पर दिनांक 21 फरवरी, 2015 के क्रम में अवगत कराया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कोई भी बिन्दु/अपेक्षित सूचना निर्वाचन विभाग से संबंधित परिलक्षित नहीं है।

3. विभागीय अपीलीय अधिकारी की ओर से प्रकरण पर विभागीय आख्या सहित श्री मस्तूदास, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को मा० आयोग के समक्ष विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा जा रहा है।

उक्तानुसार विभागीय पक्ष मा० सूचना आयोग के संज्ञान में लाते हुए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( सौजन्या )

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पू०संख्या- 558 / XXV-12/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि श्री मस्तूदास, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर मा० सूचना आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

( सौजन्या )

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या- 558 /XXV-12/2015

देहरादून : दिनांक 12 जून, 2015

सेवा में,

सचिव,  
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,  
सूचना का अधिकार भवन,  
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या  
**A(D)-18043/ 2015 के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1204 दिनांक 02 फरवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें अपील संख्या A(D)-18043/2015 श्री प्रवीण शर्मा पिन्नी, पुत्र श्री योगेश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा, जीवनगढ़, पोस्ट अम्बाड़ी, विकासनगर, जिला देहरादून द्वारा मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-18043/2015 पर दिनांक 15.06.2015 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है, के क्रम में मा० आयोग को अवगत कराना है कि अपीलकर्ता के प्रथम अपील संबंधी पत्र दिनांक 30 मार्च, 2015 के क्रम में सुनवाई हेतु पत्रावली तैयार की गयी थी, किंतु लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे अपील पर सुनवाई नहीं की जा सकी।

2. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के क्रम में मा० सूचना आयोग के संज्ञान में लाना है कि कार्यालय के पत्र संख्या 263 दिनांक 23 मार्च, 2015 के माध्यम से उनके आवेदन पर दिनांक 21 फरवरी, 2015 के क्रम में अवगत कराया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कोई भी बिन्दु/अपेक्षित सूचना निर्वाचन विभाग से संबंधित परिलक्षित नहीं है।

3. विभागीय अपीलीय अधिकारी की ओर से प्रकरण पर विभागीय आख्या सहित श्री मस्तूदास, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को मा० आयोग के समक्ष विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा जा रहा है।

उक्तानुसार विभागीय पक्ष मा० सूचना आयोग के संज्ञान में लाते हुए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( सौजन्या )

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ०संख्या- 558 / XXV-12/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि श्री मस्तूदास, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर मा० सूचना आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

( सौजन्या )

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

# उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून

अपील संख्या:  
अपील अन्तर्गत धारा  
अपीलकर्ता

A(D)-18043/2015

19 (3) सू. का. अधि. अधिनियम 2005

श्री प्रवीण शर्मा पीन्नी पुत्र श्री योगेश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा,  
जीवनगढ़ पोस्ट अम्बाड़ी विकास नगर जिला देहरादून

बनाम

प्रतिवादी

1. लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी / अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर देहरादून।

## नोटिस

अपीलकर्ता श्री प्रवीण शर्मा पीन्नी द्वारा आयोग को राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) 2005 के द्वारा निस्तारणार्थ अपील प्रार्थना पत्र 12.05.2015 को प्रस्तुत किया गया है। आयोग द्वारा प्रार्थना पत्र को अपील के रूप में सुनवाई हेतु विचार करने के उद्देश्य से 15.06.2015 (सोमवार) को आयोग कार्यालय, सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून में वाद सूची के क्रम के अनुसार 11.00 बजे से दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है।

2. अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 के द्वारा नियम-3 और नियम-4 के द्वारा प्राविधानित प्रस्तुत सामग्री को नियम छ: के अनुसार प्रतिवादी को पंजीकृत डॉक से / विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।
3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा प्रार्थना पत्र की प्रति तथा संलग्न अभिलेखों को प्रतिवादियों को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि वे 15.06.2015 को सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहें। प्रतिवादियों से यह भी अपेक्षित है कि वे इस अपील-मेमोरेण्डम के सापेक्ष अपने पक्ष में निम्नलिखित मूल अभिलेखों के साथ स्वयं अथवा प्रतिनिधि उपस्थित हों।

## लोक सूचना अधिकारी

- अ. अपीलकर्ता / प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र पर बिंदुवार लिखित उत्तर
- ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो, तथा
- स. लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका
- द. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराये गये सूचना की प्रतियां
- ध. विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति
- न. नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "क" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के

## विभागीय अपीलीय अधिकारी

- अ. अपील पर बिंदुवार लिखित उत्तर,
- ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित विभागीय अपील व्यवहृत की गयी हो, तथा
- स. निर्धारित विभागीय अपील पंजिका
- द. नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "ख" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के

ह0/-

(प्रभात डबराल)

प्र0 मुख्य सूचना आयुक्त

दिनांक 24.06.2015

संख्या : 6129 / उ.सू.आ. / अपील / 2015-16 / (PD)

प्रतिलिपि

1. श्री प्रवीण शर्मा पीन्नी, पुत्र श्री योगेश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा, जीवनगढ़ पोस्ट अम्बाड़ी विकास नगर जिला देहरादून।
2. लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
3. विभागीय अपीलीय अधिकारी / अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
4. विभागीय पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल)

सचिव

6(3)	FAO	...
...	...	...
...	...	...

B.P.L. पत्र

पंजी ०

दिनांक १/५/१५



स्वयं

मा० मुख्या सूचना आयुक्त  
राज्य सूचना आयोग, इतराणा  
देवराइन।

विषय :- लो० सू० प्र०/अनुभाग अधिकारी, मुख्य निवर्तन अधिकारी कार्यालय, इतराणा  
द्वारा सूचना क्रमांक पर अनुसूचित करने एवं वि० प्र०/अनु०/अनु० मुख्य सचिव निवर्तन  
अधिकारी, इतराणा द्वारा अपील पर कोई कार्यवाही न करने विषयक।

कथन

अवगत करना है कि मेरे द्वारा दिनांक २५/३/१५ को १ (एक) बिन्दु पर सूचना उपलब्ध  
कराफ्ताने हेतु लो० सू० प्र०/मुख्य सचिव कार्यालय, निवर्तन विभाग, इतराणा शासन  
को प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में लो० सू० प्र०/अनुभाग अधिकारी, मुख्य निवर्तन  
अधिकारी, इतराणा देवराइन द्वारा दिनांक २६/३/१५-१२/४/१५ (१-५) दिनांक  
२३/३/१५ के माध्यम से सूचना रूपी पत्र उपलब्ध कराया गया जो कि हस्तिया ब्रह्म  
एवं प्राप्त था। लो० सू० प्र० द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र में प्राप्त इल्लेख किया गया  
कि मुख्यमंत्री कार्यालय के जन आकांक्षा विभाग के दिनांक २३/३/१५ के तत्काल में कोई  
कार्यवाही परिलक्षित नहीं है। उक्त बिन्दु की अस्तित्वता के सम्बन्ध में मेरे द्वारा  
विभागीय स्वीकृत अधिकारी को प्रेषित पत्र दिनांक २०/३/१५ में स्पष्ट इल्लेख किया  
गया।

उक्त अस्तित्वता केवलरे द्वारा ही जोरि करने के अर्थ में दिनांक ३०/३/१५ को  
वि० प्र०/अनु०/अनु० मुख्य निवर्तन अधिकारी सचिव कार्यालय, इतराणा को पत्र प्रेषित  
किया गया लेकिन एक माह से अधिक समय बीतने के अफाट भी आज तक वि० प्र०/अनु०  
में न ही कोई लिपि निश्चयिता की आने ही उक्त अपील पर कोई कार्यवाही।  
अतः कहा है कि अपील पर कार्यवाही करने का कष्ट है।

संलग्नक -

- दिनांक २५/३/१५ को प्रेषित पत्र मध्य प्रकाशनी  
पत्र कीजिए साहेब।
- लो० सू० प्र० द्वारा उपलब्ध कराया गया  
सूचना दिनांक २३/३/१५ की है।
- वि० प्र०/अनु० को प्रेषित पत्र दिनांक २०/३/१५  
की है।

पुनः २ मन्त्री  
स्वीण समाजीनी  
पुस्त्री योगेश शर्मा  
जिले मीमापुत्री - जनकपुर मोत्या  
जीवनार पोच - अम्बादी  
विश्वनाथ, के ५

अनुसूचित पत्र

डिप्लोमा

राज्य

दिनांक 21/2/15

सेवा में,  
लोक सूचना अधिकारी / प्रमुख सचिव कार्यालय  
निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन  
देहरादून।

विषय:- सूचना अधिनियम के तहत सूचना आरक्षण करने जाने विषय।

कृपया निम्न सूचना आरक्षण करने का कष्ट करें -

1- जन आवासीय अनुभाग - 5, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन के पते पर पत्र 19767/XXXV-5/2014 (1) दिनांक 21/2/15 के माध्यम से आपको पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रेम्जीत राय (विधायक/लगा सचिव) जय पी. डी. से संस्थानों से दोहरा लाभ अर्जित कर लाना को लक्ष्य रूपा करना लक्ष्य करने विषयक। विचार की गयी थी, उन्हें मामले में आपके लिए यकीनकारी कार्यवाही अनुपालन के तहत किए विचार हुए की गयी कार्यवाही से सुझावित दस्तावेज की प्रतियां।

संलग्नक -

- उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं. 21/2/15 की जारी।
- विधायकी पत्र दिनांक 15/2/15 की जारी प्रमुख सचिव से।
- डिप्लोमा का फॉर्म सं. 7315/100 की जारी।

प्रति 2015 का कडीप

श्रीमती शशी जीनी  
अवधि प्रोग्रेस रजिस्ट्रार  
जिला प्रीक्षक प्रभारी जन सहयोगी  
जीवनदादा रोड - अम्बाडी  
विशालपुर, डेहरादून

21 09 2015 12:45:59  
 A R 055805693314  
 Sender No. 02-Cores/245  
 Taped PRINCIPAL, SECRETARY  
 Dehradun S.P.O., PIN-248001  
 From MANISH SHARMA, VERAS LAGUN  
 #1768765  
 10:22:40, 23/02/2015, 11:37  
 Track on www.india.gov.in



उत्तराखण्ड शासन  
मुख्यमंत्री कार्यालय जन आकाँक्षा अनुभाग-5  
क0संख्या: JA/19767 /xxxv-5/2014 (1)  
देहरादून: दिनांक 23-12- 2014

प्रमुख सचिव, निर्वाचन विभाग  
सचिव, उच्च शिक्षा/गोपन विभाग  
सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड देहरादून  
उत्तराखण्ड शासन।

कृपया सभा सचिव/विधायक एवं प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ० जीतराम को जनता की कमाई लूटने के मामले में बर्खास्त करने एवं इनके द्वारा दो-दो संस्थानों से लिये गये लाखों रुपये की वसूली करने विषयक श्री रघुनाथ सिंह नेगी, अध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा, निवास- अस्पताल रोड़, विकासनगर, जनपद देहरादून उत्तराखण्ड का पत्र दिनांक 15.12.2014, जो मा० मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित है, कि छायाप्रति के रूप में संलग्न कर प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त संलग्न पत्र में उल्लिखित प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से सम्बन्धित पक्ष एवं इस कार्यालय को प्राथमिकता के आधार पर अवगत कराने की अपेक्षा की गई है।

संलग्नक यथोपरि।

(जगत सिंह रौतेला)  
अनु सचिव, मुख्यमंत्री

क0संख्या: JA/ /xxxv-5/2014 ( )तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री रघुनाथ सिंह नेगी, अध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा, निवास- अस्पताल रोड़, विकासनगर, जनपद देहरादून उत्तराखण्ड को उपरोक्त उल्लिखित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(जगत सिंह रौतेला)  
अनु सचिव, मुख्यमंत्री

- परिवार के मुखिया का नाम
- पिता/पति का नाम
- जाति - सामान्य / अनुजाति / अनुसूचित / अन्य पिछड़ा वर्ग
- शैक्षिक योग्यता
- ग्राम/चौहल्ला/मकान नं०/मार्ग
- ग्राम पंचायत का नाम
- विकास खण्ड का नाम
- जनपद
- परिवार का बी.पी.एल. आईडी नं०



फोटो विकल्पिक  
 प्रमाणित किया जा सकता है

10. परिवार का मुखिया का पता

--	--

नोट:- कार्ड धारक द्वारा अपना फोटो प्रस्तुत किये जाने पर प्रमाणित किया जा सकेगा।

11. परिवार के सदस्यों का विवरण

क्र. सं.	परिवार के सदस्यों का नाम	पिता/पति का नाम	आय	विवरण
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...

12. परिचय-पत्र जारी करने की तिथि

13. नवीनीकरण का विवरण

क्र. सं.	तिथि	वैधता	नवीनीकरण करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर/नाम/सम्बन्ध/पुस्तक क्रमांक
1			
2			
3			
4			
5			
6			

ग्राम पंचायत  
 विकास अधिकारी  
 21/10/14  
 खण्ड विकास अधिकारी

5/12/14

विहारा 5/12



### निर्देश

1. यह कार्ड बी०पी०एल० सूची में नाम होने का प्रमाण पत्र है। धारक इससे स्वयं किसी योजना का हकदार नहीं बनेगा।
2. किसी योजना में चयन का आधार विभागीय मानक व नियम होंगे।
3. यह कार्ड परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के उपयोग के लिए मान्य नहीं। दुरुपयोग की स्थिति में निरस्त कर दिया जायेगा।

गांव-गांव में सहे विकास की धारा  
समग्र विकास का संकल्प हमारा।

**ग्राम्य विकास विभाग**  
**उत्तराखण्ड**

### बी०पी०एल० सर्वेक्षण 2002

क्रमांक 333/63

### अहस्तान्तरणीय परिचय पत्र

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन  
करने वाले परिवार हेतु



उत्तराखण्ड सरकार

**ग्राम्य विकास विभाग**  
**उत्तराखण्ड**

समग्र ग्रामीण विकास द्वारा स्वात्मन की ओर

5 V-1 21/3

वि. ए. ए. 12/20/02 जी. ए. ए.  
5 V-1 21/3

कार्यालय : मुख्य नि  
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय

अधिकारी, उत्तराखण्ड  
देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 263 /XXV-12 /2008 (P-4)

देहरादून : दिनांक 23 मार्च, 2015

सेवा में,

श्री प्रवीण शर्मा जीन्नी,  
पुत्र श्री योगेश शर्मा,  
जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा,  
जीतनगढ़, पो० अम्बाड़ी,  
विकासनगर, देहरादून।

**विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**  
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 21 फरवरी, 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित बिन्दु संख्या-01 में चाही गयी सूचना में आपको आपको अवगत कराना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय जन आकॉक्षा अनुभाग-5 के पत्र संख्या 19767 दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 के साथ आपके शिकायती पत्र को भेजा गया था किन्तु निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा इस शिकायती पत्र पर कोई कार्यवाही परिलक्षित नहीं है जिस कारण आपके शिकायत पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः आपके द्वारा चाही गयी सूचना शून्य है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं  
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तराखण्ड, 04-सुभाष रोड़,  
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय

(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी

पञ्जाब असीमा

पंजी

दिनांक 30/2/15

लेख में

विभागीय अधीनस्थ अधिकारी / अपर मुख्य निवचन अधिकारी  
राजिबे हसन पारित, इतराणा, 30/2/15

विषय:- लोड्डू अणु/अनुभाग अधिकारी, मुख्य निवचन अधिकारी, इतराणा अप  
अर्ण एवं आणक सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।

वर्षिका

अवगत कराना है कि मेरे अप दिनांक 21/2/15 को। (स्क) बिडू पर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु पर लोड्डू अणु/अनुभाग राजिबे हसन, निवचन विभाग, इतराणा शासन को प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में लोड्डू अणु/अनुभाग अधिकारी, मुख्य निवचन अधिकारी, इतराणा अप पत्रांक संख्या 263/XXIV-1/2008 (P-4) दिनांक 23/2/15 के माध्यम से सूचना रूपी पत्र उपलब्ध कराया गया, जो कि स्थिति अपरा एवं आणक है।

इस बिन्दु में मेरे अप मुख्यमंत्री कार्यालय के जन आकाश। विभाग - 5 दिनांक 23/2/15, जिसमें हस्ताक्षरित/विषयक श्री जीतराम अप के दो संस्थानों से लिए जा  
बेतन शर्तों के अन्तर्गत कार्यवाही निवचन विभाग से की जानी अपेक्षित थी लेकिन  
लोड्डू सूचना अधिकारी अप मात्र यह अज्ञात बना कि "श्रीकापरी पत्र पर कोई कार्यवाही  
प्राप्त नहीं है तथा अज्ञात कोई कार्यवाही नहीं की गयी", बस दुर्भाग्यपूर्ण है  
वस्तुस्थिति यह है कि अणु मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्रों पर 3-3 ग्राहक गैर भी  
कार्यवाही नहीं हो रही है जो आणक व्यक्ति के प्रत्येक पत्र प्राप्तियों पर विभाग  
का कार्यवाही करा होगा प्रातिपक्ष है।

लोड्डू सूचना अधिकारी अप मात्र उल्लिखित किया गया जसकि कोई सूचना उपलब्ध  
नहीं करायी गयी। इसकी की बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र को बिना अधिकारी  
से जान के बिना भेजा गया तथा बिना अधिकारी के अप पर क्या सिफारी लीवी,  
अणु भी उपलब्ध नहीं है, जिससे ज्ञात होता है कि अणु अधिकारी पत्र अप फिंटर  
में रख दिया गया है।

आशा है कि अनील पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक -  
दिनांक 21/2/15 को प्रेषित पत्र की अर्ण  
श्रीकापरी पत्र संख्या

उपरी  
श्रीकापरी  
उपरी श्रीकापरी  
जिला श्रीकापरी जनसंख्या अधिकारी

# उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून

अपील संख्या:  
अपील अन्तर्गत धारा  
अपीलकर्ता

A(D)-18043/2015

19 (3) सू. का. अधि. अधिनियम 2005

श्री प्रवीण शर्मा पीन्नी पुत्र श्री योगेश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा,  
जीवनगढ़ पोस्ट अम्बाड़ी विकास नगर जिला देहरादून

बनाम

- प्रतिवादी
1. लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
  2. विभागीय अपीलीय अधिकारी / अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर देहरादून।

## नोटिस

अपीलकर्ता श्री प्रवीण शर्मा पीन्नी द्वारा आयोग को राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) 2005 के द्वारा निस्तारणार्थ अपील प्रार्थना पत्र 12.05.2015 को प्रस्तुत किया गया है। आयोग द्वारा प्रार्थना पत्र को अपील के रूप में सुनवाई हेतु विचार करने के उद्देश्य से 15.06.2015 (सोमवार) को आयोग कार्यालय, सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून में वाद सूची के क्रम के अनुसार 11.00 बजे से दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है।

2. अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 के द्वारा नियम-3 और नियम-4 के द्वारा प्राविधानित प्रस्तुत सामग्री को नियम छ: के अनुसार प्रतिवादी को पंजीकृत डाँक से / विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।
3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा प्रार्थना पत्र की प्रति तथा संलग्न अभिलेखों को प्रतिवादियों को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि वे 15.06.2015 को सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहें। प्रतिवादियों से यह भी अपेक्षित है कि वे इस अपील-मेमोरेण्डम के सापेक्ष अपने पक्ष में निम्नलिखित मूल अभिलेखों के साथ स्वयं अथवा प्रतिनिधि उपस्थित हों।

## लोक सूचना अधिकारी

- अ. अपीलकर्ता / प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र पर बिंदुवार लिखित उत्तर
- ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो, तथा
- स. लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका
- द. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराये गये सूचना की प्रतियां
- ध. विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति
- न. नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "क" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के

## विभागीय अपीलीय अधिकारी

- अ. अपील पर बिंदुवार लिखित उत्तर,
- ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित विभागीय अपील व्यवहृत की गयी हो, तथा
- स. निर्धारित विभागीय अपील पंजिका
- द. नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "ख" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के

ह0/-

(प्रभात डबराल)

प्र0 मुख्य सूचना आयुक्त

दिनांक : 04.06.2015

संख्या : 6129/ उ.सू.आ./अपील/2015-16/(PD)

प्रतिलिपि

1. श्री प्रवीण शर्मा पीन्नी, पुत्र श्री योगेश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा, जीवनगढ़ पोस्ट अम्बाड़ी विकास नगर जिला देहरादून।
2. लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
3. विभागीय अपीलीय अधिकारी / अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
4. विभागीय पत्रावली।

04.06.15

(नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल)

सचिव

6(3)	FAC	ROF
PZO	LD	SECY
	P.S.	P.A. Secy

11/5  
B.P.L. पाठ

पंजी ०

दिनांक 9/5/11



सेवा में,

साठ मुख्य सूचना आयुक्त  
राज्य सूचना आयोग, इन्द्रावली  
देहरादून।

विषय :- लो० सू० आ०/अनुभाग अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, इन्द्रावली  
हाथ सूचना के नाम पर अनुभाग को ले खे वि० आ०/अप० मुख्य सचिव निर्वाचन  
अधिकारी, इन्द्रावली हाथ अपील पर कोई कार्यवाही न करने विषयक।

कष्टप्रद,

अवगत करना है कि मेरे हाथ दिनांक 2/4/11 को। (सू०) विन्दु पर सूचना आयोग  
कराफ्ताने हेतु पत्र लो० सू० आ०/अनुभाग सचिव कार्यालय, विवाचन विभाग, इन्द्रावली रासन  
को प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में लो० सू० आ०/अनुभाग अधिकारी, मुख्य निर्वाचन  
अधिकारी, इन्द्रावली देहरादून हाथ पत्र सं० 263/XXV-12/2008 (P-4) दिनांक  
23/3/11 के माध्यम से सूचना सूची पर इत्तल्लय करवा गया जो कि हर्षिता ब्रह्म  
खे प्राप्त था। लो० सू० आ० हाथ इत्तल्लय कराये जाने पर मेरे हाथ इत्तल्लय किया गया  
कि मुख्यमंत्री कार्यालय के जन आकांक्षा विभाग के पत्र दिनांक 23/3/11 के लक्ष्य में कोई  
कार्यवाही पोएकिते नही है। उम्ह विन्दु की असतुष्टता के लक्ष्य में मेरे हाथ  
विभागीय अपील अधिकारी को प्रेषित पत्र दिनांक 30/3/11 में स्पष्ट इत्तल्लय किया  
गया।

उम्ह असतुष्टता केवलरे इत्तल्लय योजिते करने के इच्छे था ये दिनांक 30/3/11  
वि० आ०/अप० मुख्य निर्वाचन अधिकारी सचिवालय पीसा, इन्द्रावली को पत्र प्रेषित  
किया गया लेकिन एक गार ये अधिकि हाथ बितने के अफार भी राज लु कि  
ने न ले कोई लिपि निश्चयि की आ न ही उम्ह अपील पर कोई कार्य  
अतः अफार ही अपील पर कार्यवाही करने का कष्ट करे।

सल्लयक -

- दिनांक 2/4/11 को प्रेषित पत्र मप प्रिकापरी  
पत्र कीजिते खातिर।
- लो० सू० आ० हाथ इत्तल्लय करवाया जा  
सूचना दिनांक 23/3/11 की जाहे।
- वि० आ०/अप० को प्रेषित पत्र दिनांक 30/3/11  
कीजिते।

पुनः 2 अक्टू  
सुवीण शर्मा  
पुस्तक्री योगेश चा  
जिले सीमा प्रभाप - जन  
जीवनार पोठ - अम  
विवाचन, के ३

अनुसूची 40

BPL पाठ

राजीव

दिनांक 21/2/15

सेवा में,  
लोक हितवा अधिष्ठात्री / प्रमुख सचिव कागलिन  
निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन  
देहरादून।

विषय: - हस्ताक्षर अधिनियम के तहत हस्ताक्षर अंकित करने वाले विभाग

कृपया निम्न हस्ताक्षर अंकित करने का कष्ट करें -

1 - जन आकांक्षा अनुसूची - 5, मुख्यमंत्री कागलिन, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 19767/XXXXV-5/2014 (1) दिनांक 21/2/14 के माध्यम से आपको पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रेषित एन (विधायक/लगा सचिव) द्वारा की गई है। संस्थानों से वास्तविक खर्च का तालिका को लंबे समय से हस्ताक्षर करने के लिए। विभाग की ओर से, यह मामले में आपके लिए है की गयी कार्यवाही, अनुसूची के हस्ताक्षर किए गए की गयी कार्यवाही से हस्ताक्षर करने की उम्मीद।

संलग्नक -

- उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 21/2/14 की ओर,
- श्रीमती पत्र दिनांक 15/2/14 की ओर प्रमुख सचिव से।
- BPL कागलिन का लेटर 7315/100 की ओर

प्रमुख सचिव

श्रीमती श्रीमती जीवनी  
श्रीमती श्रीमती श्रीमती  
जिला श्रीमती श्रीमती जन सचिव श्रीमती  
जीवनी श्रीमती श्रीमती  
श्रीमती श्रीमती श्रीमती

भारतीय डाक  
Ink Post  
Bharatnagar, Dehra Dun  
From: MANISH SHARMA, VIKAS 14314  
4117000000  
-11/02/15, 20/02/2015, 11:37  
Track on www.indiapost.gov.in

उत्तराखण्ड शासन  
मुख्यमंत्री कार्यालय जन आकॉक्षा अनुभाग-5  
क0संख्या: JA/19767 /xxxv-5/2014 (1)  
देहरादून: दिनांक 23-12- 2014

प्रमुख सचिव, निर्वाचन विभाग  
सचिव, उच्च शिक्षा/गोपन विभाग  
सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड देहरादून  
उत्तराखण्ड शासन।

कृपया सभा सचिव/विधायक एवं प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ0 जीतराम को जनता की कमाई लूटने के मामले में बर्खास्त करने एवं इनके द्वारा दो-दो संस्थानों से लिये गये लाखों रुपये की वसूली करने विषयक श्री रघुनाथ सिंह नेगी, अध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा, निवास- अस्पताल रोड़, विकासनगर, जनपद देहरादून उत्तराखण्ड का पत्र दिनांक 15.12.2014, जो मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित है, कि छायाप्रति के रूप में संलग्न कर प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त संलग्न पत्र में उल्लिखित प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से सम्बन्धित पक्ष एवं इस कार्यालय को प्राथमिकता के आधार पर अवगत कराने की अपेक्षा की गई है।

संलग्नक यथोपरि।

(जगत सिंह रौतेला)  
अनु सचिव, मुख्यमंत्री

क0संख्या: JA/ /xxxv-5/2014 ( )तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री रघुनाथ सिंह नेगी, अध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा, निवास- अस्पताल रोड़, विकासनगर, जनपद देहरादून उत्तराखण्ड को उपरोक्त उल्लिखित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(जगत सिंह रौतेला)  
अनु सचिव, मुख्यमंत्री

1. परिवार के मुखिया का नाम श्री. राजेश कुमार
2. पिता/पति का नाम श्री. राजेश कुमार
3. पारितोषिक / लाभ / अनुभूति / अवकाश / अन्य पिछड़ा वर्ग स्व. राज्य
4. शैक्षिक योग्यता इंटर
5. ग्राम/बोडला/मकान नं०/मार्ग 5
6. ग्राम प्रचालक का नाम अ. अ. अ.
7. विकास खण्ड का नाम विशालपुरा
8. जनपद देवरस
9. परिवार का बी.पी.एल. आई.डी. सं० 7315/11



फोटो (विकल्पिक)  
 (अवकाश/पिछड़ा वर्ग)

10. परिवार का मुखिया का नाम/पता/दस्तावेज/संख्या



नोट:- कार्ड सारक द्वारा अपना फोटो प्रस्तुत किये जाने पर प्रमाणित किया जा सकता है।

11. परिवार के सदस्यों का विवरण

क्र. सं.	परिवार के सदस्यों के नाम	पिता/पति का नाम	वयस	लिंग
1	श्री. राजेश कुमार	श्री. राजेश कुमार	65	पुरुष
2	श्री. राजेश कुमार	श्री. राजेश कुमार	60	महिला
3	श्री. राजेश कुमार	श्री. राजेश कुमार	49	पुरुष
4	श्री. राजेश कुमार	श्री. राजेश कुमार	48	महिला
5	श्री. राजेश कुमार	श्री. राजेश कुमार	6	पुरुष
6	श्री. राजेश कुमार	श्री. राजेश कुमार	4	पुरुष
7	श्री. राजेश कुमार	श्री. राजेश कुमार	32	पुरुष
8	श्री. राजेश कुमार	श्री. राजेश कुमार	28	महिला
9	श्री. राजेश कुमार	श्री. राजेश कुमार	25	पुरुष
10	श्री. राजेश कुमार	श्री. राजेश कुमार	25	पुरुष

12. परिचय-पत्र जारी करने की तिथि वैधता

13. नवीनीकरण का विवरण

क्र. सं.	तिथि	वैधता	नवीनीकरण करने वाले अधिकारी के दस्तावेज/पत्र प्रमाण/पुस्तक संख्या
1			
2			
3			
4			
5			
6			

ग्राम प्रचालक/वि० अधिकारी अ. अ. अ. तिथि 21/10/14  
 विकास खण्ड वि० अधिकारी

5/11/2014  
विशालपुरा 5/11  
5/11/2014



### निर्देश

1. यह केवल बी०पी०एल० श्रेणी में सामिल होने का प्रमाण पत्र है। धारक इससे स्वयं किसी योजना का हकदार नहीं बनेगा।
2. किसी योजना में चयन का आधार विभागीय मानक व नियम होंगे।
3. यह कार्ड परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के उपयोग के लिए मान्य नहीं। दुरुपयोग की स्थिति में निरस्त कर दिया जायेगा।

गांव-गांव में बड़े विकास की धारा।  
समग्र विकास का सकल्प हमारा।

**ग्राम्य विकास विभाग**  
**उत्तराखण्ड**

बी०पी०एल० सर्वेक्षण 2002

क्रमांक 333/61

**अहस्तान्तरणीय परिचय-पत्र**

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन  
करने वाले परिवार हेतु



उत्तराखण्ड सरकार

**ग्राम्य विकास विभाग**  
**उत्तराखण्ड**

समग्र ग्रामीण विकास द्वारा स्वात्मन की ओर

5 V-1213

विद्युत 12/12/02  
5 V-1213

कार्यालय : मुख्य नि  
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय

अधिकारी, उत्तराखण्ड  
देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 263 /XXV-12 /2008 (P-4)

देहरादून : दिनांक 23 मार्च, 2015

सेवा में,

श्री प्रवीण शर्मा जीन्नी,  
पुत्र श्री योगेश शर्मा,  
जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा,  
जीतनगढ़, पो० अम्बाड़ी,  
विकासनगर, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 21 फरवरी, 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनाये उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित बिन्दु संख्या-01 में चाही गयी सूचना में आपको आपको अवगत कराना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय जन आकॉक्षा अनुभाग-5 के पत्र संख्या 19767 दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 के साथ आपके शिकायती पत्र को भेजा गया था किन्तु निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा इस शिकायती पत्र पर कोई कार्यवाही परिलक्षित नहीं है जिस कारण आपके शिकायत पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः आपके द्वारा चाही गयी सूचना शून्य है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं  
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तराखण्ड, 04-सुभाष रोड़,  
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय

  
(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी

डिमांक 30/2/15

सेवा में

विभागीय अपीलार्थ अधिकारी / अपा मुख्य निवचन अधिकारी  
राजिबे लाल पारित, इतराण्ड, 30/2/15

विषय:- लोक सू अपा/अनुभाग अधिकारी, मुख्य निवचन अधिकारी, इतराण्ड अपा  
अर्थात् स्व आगत सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।

संबंध

अवगत कराना है कि मेरे अपा डिमांक 21/2/15 को। (सक) बिडु पर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र लोक सू अपा/अनुभाग अधिकारी, निवचन विभाग, इतराण्ड शासन को प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में लोक सू अपा/अनुभाग अधिकारी, मुख्य निवचन अधिकारी, इतराण्ड उप पत्रांक संख्या 263/XXIV-12/2008(P-4) डिमांक 23/2/15 के माध्यम से सूचना रूपा पत्र उपलब्ध कराया गया, जो की स्थिति अनुसार स्व आगत है।

इस बिन्दु में मेरे अपा मुख्यमंत्री कार्यालय के जन आकंक्षा विभाग -5 डिमांक 23/2/14, जिसमें सभा सचिव/विभाग प्रो जीतराम स्व को-टा संस्थानों से लिए जा बेलन शर्यात सचिवी कार्यालय निवचन विभाग से की जानी अपेक्षित थी लेकिन लोक सूचना अधिकारी अपा मात्र यह प्रतिक्रिया देना कि "शिकायती पत्र पर कोई कार्यवाही नालाश है वही है तथा इसके कोई कार्यवाही नहीं की गयी", बस दुर्भाग्यपूर्ण है।

वस्तुतः स्पष्ट यह है कि अगर मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्रों पर 3-3 माह में भी कार्यवाही नहीं हो रही है तो आज व्यक्ति के प्रत्येक पत्र प्राप्तियों पर विभाग क्या कार्यवाही करवा होगा प्रारित है।

लोक सूचना अधिकारी अपा मात्र उल्लेख किया गया जबकि कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। हेतु की बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र को छिपे अधिकारी से जान के लिए भेजा गया तथा छिपे अधिकारी ने इस पर क्या दिखनी ली, इसका भी उल्लेख नहीं है, जिससे स्तब्ध होता है कि प्रशासकीय पत्र अपा प्रिंटिंग में रख दिया गया है।

आशा है कि अतीत पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न -  
- डिमांक 21/2/15 को प्रेषित पत्र की प्रतिलिपि  
शिकायती पत्र सचिव

सुविधा मन्दीप  
प्रीति शर्मा शर्मा  
इस को प्रेषित किया  
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय - जनसमूह गोवा